

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 7(33)शिक्षा-2/2020 जयपुर दिनांक 02.05.2022 द्वारा श्रीमती नेहा रेवाडिया व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राबाउमावि मालाखेडा, अलवर के परीक्षाकाल में 30 दिवस से अधिक लिये गये 27 दिवस असाधारण अवकाश की स्वीकृति के क्रम में राजस्थान सेवा नियम 96 के तहत असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	लिये गये अवकाश	दिवसों की संख्या	कुल दिवस
1.	22.02.2020 से 27.02.2020 29.02.2020 से 20.03.2020	06 दिवस 21 दिवस	कुल 27 दिवस (असाधारण अवकाश)

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.10.2021 (संशोधित दिनांक 18.11.2021) द्वारा 30 दिवस का असाधारण अवकाश पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है। 'वित्त (नियम) विभाग' के 'मैमोरेण्डम' दिनांक 25.10.2019 (संशोधित दिनांक 06.01.2020) के प्रावधानानुसार कार्मिक द्वारा परीक्षा अवधि में लिये गये अवकाशों के आधार पर नियमानुसार कुल (57-30) 27 दिवस की वृद्धि होगी। कार्मिक के असाधारण अवकाश अवधि का लेखा एवं इन्द्राज कार्मिक की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से किया जावे।



(गौरव अग्रवाल)

निदेशक,

आदेश

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

दिनांक:- 23.05.2022

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रावि/अवकाश/2020-21/413

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा.....।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
4. संबंधित संस्था प्रधान.....।
5. संबंधित कार्मिक.....।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर